मुकदमा नं.–295A/21

राजस्व वाद 295 ए/2021

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी– रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद:– 295 ए/2021

वादी–

1. कोजाराम पुत्र भेराराम
जाति मेघवाल निवासी जालनियासर तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. कानाराम पुत्र निम्बाराम
2. तिलाराम पुत्र निम्बाराम
3. घुड़ाराम पुत्र निम्बाराम
4. पुरखाराम पुत्र निम्बाराम
समस्त जातियान जाट निवासी जालनियासर तहसील जायल जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति:–

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वादी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाष बैन्दा प्रतिवादी 1 से 4 कि ओर से।
3. प्रतिवादी सं. 5 राजपैरोकार उपस्थित।

वाद अधीन धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

— : : निर्णय : :—

दिनांक : 25/01/2022

मुकदमानं. 295ए/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त में भूमि मौजा जालनियासर के खेत खसरा नम्बर 276/344 रकबा 2.2662 हैक्टेयर रहता चला आया है जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के कब्जा काश्त में भूमि मौजा जालनियासर के खेत खसरा नम्बर 265/388 रकबा 2.2662 हैक्टेयर है जिसकी

25/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खातेदारी मुझ वादी के नाम दर्ज है लेकिन कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पास है। इस कारण से मुझ वादी को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है जिससे वादी को भारी असुविधा हो रही ह एवं इस कारण वाद हेतुक पैदा हुआ। दाव पेश कर इस्तदुआ वादी है कि मौजा जालनियासर के खाता संख्या 131 के खेत खसरा नम्बर 276/344 रकबा 2.2662 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम तथा खाता सख्या 53 के खेत खसरा नम्बर 265/338 रकबा 2.2662 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम घोषित फरमावे। इसी माफिक राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल के नाम ओदश जारी फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 14.12.2021 को न्यायालय हाजा में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी कि पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका ने कि तथा प्रतिवादीगण 1 से 4 कि पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं राजपैरोकार के रूप में उपस्थित, जो वादपत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु (तनकियात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र वादी कोजाराम एवं प्रतिवादी कानाराम के पेश हुवे, नकल जमाबन्दी ग्राम जालनियासर तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 53 प्रदर्ष 1 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम जालनियासर तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 131 प्रदर्ष 2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद कि गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत कि गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेनद किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा हाने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त कि है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त बाबत् शपथ पत्र पेश किया एवं राजीनामा में कब्जा काश्त प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी कि जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्र आदी व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी सख्या 5 राजपैरोकार को केवल परफौर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने आपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है, साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त कि है।

हमारी राय में वादग्रस्त खेताय मौजा जालनियासर के खाता संख्या 131 के खेत खसरा नम्बर 276/344 रकबा 2.2662 हैक्टेयर की खातेदारी वादी कोजाराम के नाम तथा मौजा जालनियासर के खाता संख्या 53 के खेत खसरा नम्बर 265/338 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 से 4 क्रमशः कानाराम, तिलाराम, धुड़ाराम एवं पुरखाराम की सहखातेदारी में घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

—:: आदेश ::—

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी अधीन धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा जालनियासर के खाता संख्या 131 के खेत खसरा नम्बर 276/344 रक़बा 2.2662 हैक्टेयर की खातेदारी वादी कोजाराम के नाम तथा मौजा जालनियासर के खाता संख्या 53 के खेत खसरा नम्बर 265/338 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 से 4 क्रमशः कानाराम, तिलाराम, धुड़ाराम एवं पुरखाराम की सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
स्हायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वादः– 295 ए/2021

वादी–

1. कोजाराम पुत्र भेराराम
जाति मेघवाल निवासी जालनियासर तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. कानाराम पुत्र निम्बाराम
2. तिलाराम पुत्र निम्बाराम
3. धुड़ाराम पुत्र निम्बाराम
4. पुरखाराम पुत्र निम्बाराम
समस्त जातियान जाट निवासी जालनियासर तहसील जायल जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वादी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाष बैन्दा प्रतिवादी 1 से 4 कि ओर से।
3. प्रतिवादी सं. 5 राजपैरोकार उपस्थित।

वाद अधीन धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मिनजानिब राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – मौजा जालनियासर के खाता संख्या 131 के खेत खसरा नम्बर 276/344 रकबा 2.2662 हैक्टेयर की खातेदारी वादी कोजाराम के नाम तथा मौजा जालनियासर के खाता संख्या 53 के खेत खसरा नम्बर 265/338 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 से 4 क्रमशः कानाराम, तिलाराम, धुड़ाराम एवं पुरखाराम की सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।

25/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

निर्णय आज दिनांक...25.01.2022... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/01/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...25/01/2022... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

25/01/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner